तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 102/2025 (2025/234) अनवान नरपत वगैरा बनाम केसाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-12-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी संख्या एक की एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम खेजडानाडा तहसील झंवर जोधपुर के खसरा संख्या 306 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/1 रकबा 0.8296 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या दो की खसरा संख्या 306/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/5 रकबा 0.8296 हैक्टेयर, एवं इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या तीन की खसरा संख्या 306/3 रकबा 0.86600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/6 रकबा 0.8296 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार मालिक काबिज हैं एवं काश्त करते है। उसकी राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 20.03.2025 अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से जवाब पेश कर बताया कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खसरा संख्या 229 रकबा 4.7105 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या चार की खसरा संख्या 220/4 रकबा 4.8643 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या पांच की खसरा संख्या 306/4 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/7 रकबा 0.8296 हैक्टेयर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। अप्रार्थी संख्या 3 की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। एवं सीमाज्ञान की कोई जानकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः इन परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम खेजडानाडा तहसील झंवर जोधपुर के खसरा संख्या 306 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/1 रकबा 0.8296 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या दो की खसरा संख्या 306/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/5 रकबा 0.8296 हैक्टेयर, एवं इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या तीन की खसरा संख्या 306/3 रकबा 0.86600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 306/6 रकबा 0.8296 हैक्टेयर की पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमांज्ञान करवाकर बाद पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार झंवर को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	